



पत्रांक 4106/उ०नि०लि०/म०प्र०(लेखा)

दिनांक 13/11/2017

### कार्यालय ज्ञापन

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2017 से सम्पूर्ण भारत में जी०एस०टी० लागू हो चुका है। उक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० द्वारा मुख्यालय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर का रिटर्न दाखिल करने हेतु परियोजनाओं से सूचनाएं वांछित प्रारूप में एवं समय से प्राप्त न होने के कारण मुख्यालय पर जी०एस०टी० रिटर्न दाखिल करने में काफी कठिनाईयों का सामना किया जा रहा है, अतः आवश्यक है कि इकाईयों से सूचना समय से एवं सही प्रारूप में मुख्यालय प्रेषित की जायें, विभिन्न जी०एस०टी०आर० के अर्न्तगत वांछित सूचनाएं एव उनकी समयावधि निम्नवत् है। जी०एस०टी० के प्रावधानों को निर्धारित समयावधि में अनुपालन कराने में परियोजनाओं से एवं कैश प्रबन्धन इकाई से निम्न सूचनाओं की आवश्यकता है:-

### जी०एस०टी०आर०-1 (बिक्री एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण):-

जी०एस०टी०आर०-1 रिटर्न में अगले माह की 10 तारीख (अन्तिम तिथि) तक दाखिल किया जाता है। अतः परियोजना/कैश प्रबन्धन इकाई स्तर से निम्न सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में अगले माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायें :-

1. निगम द्वारा उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि० को की गयी विद्युत बिक्री की सूचना।
2. स्कैप से सम्बन्धित बिक्री की सूचना एवं बिक्री से सम्बन्धित एडवांस प्राप्त होने पर भी सूचना।
3. टेण्डर फार्म की बिक्री से सम्बन्धित सूचना।
4. राख एवं साइनोस्पेयर आदि की बिक्री से सम्बन्धित सूचना।
5. परियोजना स्तर पर आवासीय /वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रदान भवनों के किराये से सम्बन्धित सूचना (अलग-अलग)।
6. परियोजना स्तर पर बिक्री की गयी विद्युत का विवरण।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की वस्तु की बिक्री अथवा प्रदान की गई सेवाओं की सूचना।

### जी०एस०टी०आर०-2 (खरीद एवं प्राप्त की जाने वाली सेवाओं का विवरण):-

जी०एस०टी०आर०-2 को अगले माह की 15 तारीख (अन्तिम तिथि) तक दाखिल किया जाता है अतः परियोजना/कैश प्रबन्धन इकाई स्तर से निम्न सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में अगले माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायें :-

1. कोयला क्रय सम्बन्धी सूचना।
2. डीजल/फर्नेस ऑयल/पेट्रोल इत्यादि के क्रय सम्बन्धी सूचना।
3. स्पेयर्स एण्ड कन्जूमैबेल्स आदि के क्रय सम्बन्धी सूचना।
4. रेलवे भाड़े के बीजक से सम्बन्धित सूचना।
5. परिचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्यों को बाह्य एजेंसी से प्राप्त की जाने वाली सेवायें।



6. सी०आई०एस०एफ०/टैक्सी सर्विस' इत्यादि के सम्बन्ध में आर०सी०एम० के अन्तर्गत भुगतान सम्बन्धी सूचना।
7. टी०आई०/पी०आई० के माध्यम से क्रय की गयी सामग्री के बीजक से सम्बन्धित सूचना।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का वस्तु क्रय एवं प्राप्त की जाने वाली सेवाओं की सूचना प्रदान करना जो जी०एस०टी० नियमानुसार आवश्यक हैं।

### जी०एस०टी० आर०-3(मासिक समेकित रिटर्न)

जी०एस०टी० आर०-3 को अगले माह की 20 तारीख (अन्तिम तिथि) तक दाखिल करने हेतु मासिक रिटर्न में जी०एस०टी० आर०-1 एवं 2 में दाखिल की गयी सूचनाओं एवं वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान का पारस्परिक मिलान करने हेतु अगले माह की 16 से 20 तारीख तक जी०एस०टी० सेल एवं परियोजना /कैश प्रबन्धन इकाई को आपसी सामंजस्य स्थापित करने हेतु वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराना।

### जी०एस०टी० आर०- 3 बी०

जी०एस०टी० आर०- 3बी० को दाखिल करने के प्राविधान माह दिसम्बर 2017 तक अगले माह की 20 तारीख तक (अन्तिम तिथि) यथावत् रहेंगे।

अतः उक्त जी०एस०टी० सम्बन्धी प्रावधानों के अनुपालन हेतु मुख्यालय पर स्थित कैश प्रबन्धन इकाई एवं परियोजनाओं से जी०एस०टी० से सम्बन्धित सूचनायें मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सेल को ससमय उपलब्ध कराने हेतु सभी इकाइयों पर एक-एक नोडल अधिकारी नामित किया जाता है :-

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नोडल अधिकारी का नाम
1	अनपरा तापीय परियोजना	श्री अखिलेश कुमार- मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक।
2	ओबरा तापीय परियोजना	श्री ए०के० सिंह- मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक।
3	पारीछा तापीय परियोजना	श्री जी०पी०वर्मा -मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक।
4	हरदुआगंज तापीय परियोजना	श्री आर०के०वाही- मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक।
5	पनकी तापीय परियोजना	श्री एच०पी० सिंह- मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक।
6	कैश प्रबन्धन इकाई, मुख्यालय	श्री रमेश कुमार- मुख्य प्रबन्धक।

उक्त नोडल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सेल को जी०एस०टी० रिटर्न दाखिल करने हेतु वांछित सूचनायें निर्धारित प्रारूप में ससमय उपलब्ध करायें। यदि आवश्यक हो तो इस कार्य में सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना



अपने स्तर पर एक जी०एस०टी० सलाहकार की नियुक्ति कर उसकी सेवायें प्राप्त कर सकते हैं। नामित नोडल अधिकारियों में से किसी के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर कार्यभार-ग्रहण करने वाला अधिकारी स्वतः नामित माना जायेगा। परियोजनाओं/कैश प्रबन्धन इकाई से जी०एस०टी० सम्बन्धित सूचनाओं को ससमय एवं सही प्रारूप में प्रेषित किये जाने का दायित्व पूर्णरूप से नोडल अधिकारी का होगा।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक: /उ०नि०लि०/म०प्र०(लेखा)/ तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के स्टाफ अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2. निदेशक(वित्त)/निदेशक (तकनीकी)/निदेशक परि० एवं वाणिज्य/निदेशक कार्मिक एवं प्रबन्धक के स्टाफ अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता वाणिज्य/पीपीएम/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव परियोजना /आर०एण्डएम०/टॉम, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० अनपरा/ओबरा/पनकी/पारीक्षा/हरदुआगंज।
6. मुख्य अभियन्ता (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, तापीय विद्युत परियोजना/कैश प्रबन्धन इकाई, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/अनपरा/ओबरा/पनकी/पारीक्षा/हरदुआगंज/ मुख्यालय, लखनऊ।
8. उपमुख्य लेखाधिकारी (जी०एस०टी० सेल), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(आर० सी० अग्रवाल)  
महाप्रबन्धक(लेखा)